कार्यालय नजारत विभाग,
जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।
दिनांक 18.03.2020

सार्वजनिक सूचना

न्यायालय परिसर, राजनगर, गाजियाबाद में वर्ष 2020–2021 की दिनांक 31.03.2021 तक की अवधि के लिए कैन्टीन, कोल्ड ड्रिंक, फोटोग्राफी, फ्रूट–चाट एंव फोटोस्टेट का ठेका छोडे जाने हेतु दिनांक 27 मार्च, 2020 की सांय 04.00 बजे मुख्य न्यायालय भवन के भू तल पर स्थित सेन्ट्रल हॉल में नीलामी खुली बोली के द्वारा की जायेगी। ठेका न्यायालय भवन, गाजियाबाद के सामने कैन्टीन, फ्रूट–चाट, कोल्ड ड्रिंक, फोटोग्राफी एंव फोटोस्टेट हेतु कमशः 50 X 14, 30 X 14, 40 X 14, 20 X 14 एंव 20 X 14 फीट के स्थान में संचालित किया जायेगा।

नीलामी सम्बन्धी शर्ते एंव अन्य कोई जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक जनपद न्यायालय, गाजियाबाद के नजारत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाताओ को प्रत्येक ठेके हेतु बोली लगाने से पूर्व अंकन 10,000/– (दस हजार) धरोहर धनराशि के रूप में जमा करानी होगी।

18/3/2020

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, गाजियाबाद।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0–1, गाजियाबाद

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित :–

1– नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद ।
2– नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गाजियाबाद ।
3– नोटिस बोर्ड, नगर निगम, जनपद गाजियाबाद ।
4– तहसीलदार, सदर, जनपद गाजियाबाद ।
5– नोटिस बोर्ड, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
6– स्थानीय/राष्ट्रीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।
7– कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एंव माननीय उच्च न्यायालय की वैबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

कार्यालय – नजारत विभाग,
जनपद न्यायालय, गाजियाबाद
दिनांक –18.03.2020

न्यायालय परिसर, गाजियाबाद में छोडे जाने वाले ठेको की बाबत नीलामी हेतु आवश्यक सूचना

1 नीलामी में बोलीदाता प्रत्येक ठेके हेतु बोली लगाने से पूर्व अंकन 10,000/–रूपये धनराशि धरोहर के रूप में जमा करनी होगी।

2 केवल उन ठेकेदार/फर्म को नीलामी में भागीदारी दी जायेगी जिन पर ठेके की बाबत पिछले वित्तीय वर्षो का कोई बकाया शेष न हो।

3 नीलामी स्वीकृत होने पर ठेके की समस्त धनराशि एक मुश्त जमा करानी होगी ।

4 नीलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद को होगा।

5 कैन्टीन, फ्रूट–चाट, कोल्ड् ड्रिंक, फोटोग्राफी एंव फोटोस्टेट हेतु क्रमशः 50 X 14, 30 X 14, 40 X 14, 20 X 14 एंव 20 X 14 फीट के स्थान में संचालित किया जायेगा।

6 ठेको के संचालन हेतु विद्युत आपूर्ति न्यायालय भवन से नही की जायेगी तथा विद्युत की व्यवस्था निविदा दाता को स्वयं करनी होगी।

7 कैन्टीन, फ्रूट–चाट, कोल्ड ड्रिंक में विक्रय किये जाने वाले सामानो की मूल्य सूची लगायी जानी आवश्यक है ।

8 नीलामी की स्वीकृती के पश्चात ठेका लेने वाले व्यक्ति/फर्म से ठेके की बाबत अनुबन्ध नियमानुसार निष्पादित कराया जायेगा।

9 नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात ठेका नही लेने पर उनकी जमानत धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

10 नीलामी स्वीकृती के पश्चात बोलीदाताओ दाता को अपना पहचान–पत्र, आवास प्रमाण–पत्र व एक फोटो जमा करना होगा।

11 वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु न्यायालय परिसर में कैन्टीन, फ्रूट–चाट, कोल्ड ड्रिंक, फोटोग्राफी एंव फोटोस्टेट का ठेका दिनांक 01.04.2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक 31.03.2021 तक की अवधि के लिए छोडा जायेगा।

अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, गाजियाबाद।